

FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

जज अदालत

कलेक्टर

मुकाम

बांटीकुई

बनाम

no

तम्

किरम मुकदमा

तारीख दुयम	दुयम या कार्यवाही मय इजिशियल्स जज	क्याबर व तारीख अहकाम जो इस दुयम की तारीख में जारी हुए
	<p>8/11/26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपा० 5-राजाराम राव व. गीतु रमेश रिजिट दिनांक 24/11/26 लोपेश थे।</p> <p>22/11/26 प्रवावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में खाता होने से जनरल तारीख पेशी हो गई तब खादेश की पालना में दिनांक 20/2/26 को पेश हो।</p> <p>हस्ताक्षर रीकर</p>	<p>उप उपखण्ड अधिकारी बांटीकुई (दांता)</p>
	<p>20/02/26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपा० प्रार्थी वकील हरा वस्स बीगयी। एवं प्रकरण में तहसीलदार बांटीकुई के पत्रांक 1867 दिनांक 08/05/2025 के अनुसार प्रार्थी प्रापत्र की स्वीकार करने वास्तु निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी-बलपंर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी वकील बलपंर मनन उसे एवं पत्रावली के अन्वेषण के आधार पर प्रार्थी प्रापत्र अंकीत धारा 130 Cr.P.C. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। किन्तु निर्णय प्रकरण से रिक्रिजनाया जात्र शागिन पत्रावली किया गया। प्रकरण प्रकरण सुधार होकर वादतुमीन का क्रिय दण्ड हो।</p> <p>24/2/26 उपखण्ड अधिकारी बांटीकुई</p>	

यल्स जज

गार्थी उपा०/उकरण
स्वः स्पष्ट रिपोर्ट
क 27/10/25

बास्ते इन्पार
दिनांक 12/11/2025

गरी

बास्ते इन्पार
13/11/2025

बास्ते इन्पार
दिनांक 12/11/2025

गार्थी उपा० बास्ते
दी कुई पत्रावली

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या- 134/2024 (विविध)

प्रकरण दायर दिनांक-10.12.2024

प्रकरण निर्णय दिनांक-20.02.2026

1. अंगूरी देवी उर्फ भौरी देवी उम्र 73 वर्ष पत्नी श्री मांगीलाल जाति बैरवा निवासी बास गुडलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थीया द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट जय्ये वकील श्री विनोद मीमरोठ के पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 33 पुराना 32 आराजी खसरा नम्बर 527 रकबा 0.24 हैक्टे, खसरा नम्बर 528 रकबा 0.18 हैक्टे, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.15 हैक्टे, खसरा नम्बर 532 रकबा 0.15 हैक्टे, खसरा नम्बर 533 रकबा 0.30 हैक्टे, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.17 हैक्टे, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.44 हैक्टे, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.32 हैक्टे, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.26 हैक्टे, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.18 हैक्टे, खसरा नम्बर 539 रकबा 0.18 हैक्टे, खसरा नम्बर 540 रकबा 0.18 हैक्टे, खसरा नम्बर 541 रकबा 0.43 हैक्टे, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.07 हैक्टे, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.66 हैक्टे, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा नम्बर 559 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नम्बर 560 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 562 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 563 रकबा 0.15 हैक्टे, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.81 हैक्टे, खसरा नम्बर 566 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.27 हैक्टे, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.27 हैक्टे, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.14 हैक्टे, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.26 हैक्टे, खसरा नम्बर 572 रकबा 0.44 हैक्टे, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.41 हैक्टे, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.27 हैक्टे, खसरा नम्बर 575 रकबा 0.34 हैक्टे, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 629 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नम्बर 636 रकबा 0.25 हैक्टे, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.23 हैक्टे, खसरा नम्बर 638 रकबा 1.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.22 हैक्टे, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.25 हैक्टे, खसरा नम्बर 641 रकबा 0.32 हैक्टे, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.55 हैक्टे, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.25 हैक्टे, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.44 हैक्टे, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.39 हैक्टे, खसरा नम्बर 647 रकबा

अथ

0.23 हैक्टे, खसरा नम्बर 648 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.34 हैक्टे, 650 रकबा 5.24 हैक्टे, कुल किता 52 कुल रकबा 18.07 हैक्टेयर वाके रामा ग्राम बास गुडलिया पटवार हल्का गुडलिया तहसील बांदीकुई, में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/72 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। खाता संख्या नया 33 पुराना 32 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम भौरी देवी पत्नि मांगीलाल जाति बैरवा गलत दर्ज कर दिया है वह प्रार्थीया का बचपन का बोलता नाम है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम अंगूरी देवी पत्नि मांगीलाल है। प्रार्थीया के पहचान पत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थीया का नाम अंगूरी देवी पत्नि मांगीलाल सही दर्ज है और प्रार्थीया के सभी दस्तावेज में प्रार्थीया का नाम अंगूरी देवी पत्नि मांगीलाल दर्ज है एंव प्रार्थीया का वास्तविक एंव सही नाम अंगूरी देवी पत्नि मांगीलाल है खाता संख्या नया खाता संख्या 33 पुराना 32 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का गलत नाम भौरी देवी पत्नि मांगीलाल दर्ज है जिसको हजफ करवाकर उसके स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम अंगूरी देवी पत्नि मांगीलाल करवाने की प्रार्थीया अधिकारी है। प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकन हो जाने के कारण प्रार्थीया को राजस्थान सरकार व भारत सरकार से मिलने वाली कई प्रकार की किसान सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है। प्रार्थीया दिनांक 05/12/2024 को यूको बैंक शाखा बांदीकुई में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने गई तो बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम भौरी देवी पत्नि मांगीलाल व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम अंगूरी देवी पत्नि मांगीलाल दर्ज होने के कारण किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से मना कर दिया और कहा की आप पहले अपने राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दर्ज करवाकर लाओ तभी आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन पायेगा इसके पश्चात प्रार्थीया तहसील कार्यालय बांदीकुई पहुँची लेकिन वहाँ पर उपस्थित कर्मचारियों ने उक्त त्रुटी के सुधार हेतु श्रीमान एस डी एम साहब के परिवाद पेश कर दुरुस्ती के लिये आदेशित किया इसलिये श्रीमानजी के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया के गलत नाम भौरी देवी पत्नि मांगीलाल को हजफ कर प्रार्थीया का सही नाम अंगूरी देवी पत्नि मांगीलाल इन्द्राज करने में अन्य सहखातेदार के हितों पर प्रभाव नहीं पड रहा है अर्थात किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं सहखातेदारान के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। तथा प्रार्थीया के नाम को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दुरुस्त किये जाने में कोई कानूनी अडचन भी नहीं है। प्रार्थीया ग्राम बास गुडलिया पटवार हल्का गुडलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा की स्थाई निवासी है एंव खाता संख्या नया 33 पुराना 32 वाके रामा बास गुडलिया में स्थित होने के कारण श्रीमान को प्रार्थना पत्र सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दिनांक 05/12/2024 को बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीया का क्रेडिट कार्ड बनाने से इन्कार करने के बाद कारण उत्पन्न होकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खाता संख्या नया 33 पुराना 32 वाके रामा ग्राम बास गुडलिया पटवार हल्का गुडलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीया के गलत नाम भौरी देवी पत्नि मांगीलाल को हजफ कर उसके

अथ

स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम अंगूरी देवी पत्नि मांगीलाल अंकन किया जाये और इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ने नोटिस/सम्मन से की गयी। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक/भूअ./2025/1867 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के संलग्न भूअ.नि. गुडलिया के मौका पर्चा ग्राम बास गुडलिया दिनांक 30.04.2025 के अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष जमाबंदी संवत् 2075-78 के खसरा संख्या 33 की जॉच में प्रार्थीया का नाम भीरी देवी पत्नि स्व. मांगीलाल हि. 1/72 जाति बैरवा सा. देह खातेदार अंकित होना पाया गया। मौके पर उपस्थित भीरी देवी के पौत्र धर्मसिंह पुत्र रमेशचन्द द्वारा उपलब्ध करवाये गये जन आधार कार्ड मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थीया का नाम अंगूरी देवी पत्नि मांगीलाल दर्ज है। जबकि आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम अंगूरी देवी c/o मांगीलाल दर्ज है मौके पर उपस्थित मौतबिरान एवं सहखातेदारों ने बताया कि अंगूरी देवी एवं भीरी देवी एक ही व्यक्ति है। प्रार्थीया वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस की गयी। प्रार्थीया वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया वकील की बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तोवजात का अवलोकन किया। अतः प्रार्थीया वकील की बहस पर मनन करने, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम बास गुडलिया की जमाबंदी संवत् 2075-2078 की खाता संख्या नया 33 पुराना 32 में प्रार्थीया का नाम भीरी देवी पत्नि मांगीलाल सहवन से दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थीया का सही नाम अंगूरी देवी पत्नि मांगीलाल है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बास गुडलिया की जमाबंदी संवत् 2075-2078 खाता संख्या नया 33 पुराना 32 में तहसीलदार बांदीकुई स्वयं जॉच करे एवं पूर्ण संतुष्ट होये कि प्रार्थीया अंगूरी देवी पत्नि मांगीलाल एवं भीरी देवी पत्नि मांगीलाल एक ही महिला के नाम है अथवा नहीं। यदि उक्त दोनो नाम एक ही महिला के हो तो रिकॉर्ड में शुद्ध नाम दर्ज कर विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फंसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

20/2/26
(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई